स्मृति पत्र

1 संस्था का नाम : इत्तिहादुल (आई0जी0) वेलफेयर सोसायटी।

2 संस्था का पता : 779/3 – रहमत नगर, योगेन्द्रपुरी, जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)। (संस्था का पता आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है।)

3 कार्यक्षेत्र : संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

4 उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य निम्नवत होंगे–

1. अल्पसंख्यक समुदाय व अन्य सभी वर्गो के लिए तथा शिक्षा में पिछड रहे मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष तौर से स्कूल, कालिज, इन्जिनियरिंग कालिज, टैक्निकल एजूकेशन संस्थान, मैनेजमेन्ट एजूकेशन संस्थान, होटल मैनेजमेन्ट संस्था, मैडिकल कालिज (यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी) के मेडिकल कालिजो की स्थापना करना व संचालन करना तथा प्रोढ़ शिक्षा, अनोपरचारिक शिक्षा, आगनबाड़ी साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करना व उनका संचालन करना तथा वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम विश्वविद्यालय, रात्रि स्कूल, अकादमी, पुस्तकालय, हॉस्टिल, ट्रेनिंग सेन्टर, कॉचिंग सैन्टर, शोध संस्थान, म्यूज़ियम, लैबोरेट्रीज़ प्रदर्शनिय केन्द्र, मकतब, मदरसे (उर्दू, अरबी, फारसी) के लिए विश्वविद्यालय व कालिज स्थापित करना व उनका संचालन करना।

2. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सघन विकास का प्रयास करना। जिसमें स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता शौचालय, सड़कें आदि सुविधाओं को मुहय्या कराना और पशु–पालन, डेयरी, रेशम कीट पालन, नर्सरी खाद्य पर संस्करण उद्योग आदि के कुशल संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

3. प्रधानमंत्री के पन्द्रह सुत्रीय कार्यक्रम के लिए सुचारू रूप से कार्य करना तथा इसके लिए लोगों को जागरूक करना।

4. स्कूल, कालिजों में आवश्यकतानुसार छात्र एवं छात्राओं को लाने एवं ले जाने हेतु वाहन का प्रबन्ध कराना। यदि आवश्यकता पड़े तो बैंक से ऋण (लोन) लेकर वाहनोंका प्रबन्ध कराना।

5. निराश्रित महिलाओं व बच्चों के लिये आश्रम खोलना, नारी सुलभ उद्योगों का प्रशिक्षण एवंद बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

6. जाति धर्म व सामप्रदायिक सोहार्द के लिये सभी आवश्यक कार्य करना तथा भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।

7. भारतीय भाषाओं के साथ साथ अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत आदि के पठन पाठन की व्यवस्था करना। श्रमदान ग्रामों की सफाई सामूहिक रूप से करा तथा समाज कल्याण आदि गाँधी वादी दृष्टि कोण का प्रचार प्रसार उसमें अहिंसा रचनात्मक कार्य तथा ग्राम निर्माण की प्रवृत्ति का निर्माण करना।

8. अल्पसंख्यक नौजवानों एवं अन्य वर्गों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु उनको रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना व उनके लिए रोज़गार के अवसर निकालना।

9. देश में बढ़ती भिक्षावृत्ति को रोकना देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवकों एवं युवतियों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।

10. पिछड़े क्षेत्रों के अपारस्परिक ऊर्जा स्त्रोत संयत्रों गोबर गैस और ऊर्जा तथा पावर ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों को चलाना।

11. देश में बढ़ते हुए खेल कूद विज्ञान आदि क्षेत्रों में कार्यक्रमों को चलाना।

12. पर्यावरण प्रदूषण के लिए कार्य करना।

13. मलिन बस्तियों के विकास हेतु कार्य करना एवं करवाना।

14. चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को स्थानिय स्तर पर उपलब्ध करानेका प्रयास करना।

15. शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रों के विकास हेतु जिला ग्रामय विकास अभिकरण, नगरी विकास अभिकरण, जिला योजना तथा भूमि सुधार निगम आदि के संचालित कार्यक्रमों में सहयोग कर संम्पादित करना।

16. शहरी क्षेत्रों में मलीन बस्ती सुधार हेतु डूडा, सूडा द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।

~~[illegible] संस्था के [illegible] की पूर्ति हेतु राज्य तथा केन्द्र [illegible], उनके विभागों, [illegible] निगमों, खादी बोर्ड, खादी आयोग [illegible] एवं अनुदान [illegible] करना तथा राज्य एवं केन्द्र [illegible] एवं उनके विभागों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।~~

सत्य प्रतिलिपि

इलियास मैमो 2 (आई0 जी0) वेलफेयर सोसायटी

779/3 –सरवट, जिला मुज़फ्फ़रनगर (उ0प्र0)

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की सूचि वर्ष 2014–2015

संस्था की प्रबन्ध कार्य कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको इस संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम सदस्य मय वल्दियत	पूरा पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	आसिफ अली पुत्र श्री मौ0 इलयास	779/3, रहमत नगर, योगेन्द्रपुरी जिला मुजफ्फरनगर	अध्यक्ष	समाजसेवी	Asif Ali
2	नादिर पुत्र श्री फरीद अहमद	ग्राम दधेड़ू कलां जिला मुजफ्फरनगर	उपाध्यक्ष	कृषि	Mohd Nadir
3	रूबी आसिफ पुत्री श्री आसिफ अली	779/3, रहमत नगर, योगेन्द्रपुरी जिला मुजफ्फरनगर	प्रबन्धक	समाज सेविका	[illegible]
4	शहजाद अली पुत्र श्री मौ0 इलयास	779/3, रहमत नगर, योगेन्द्रपुरी जिला मुजफ्फरनगर	कोषाध्यक्ष	व्यापारी	शहजाद
5	मौ0 अकरम पुत्र श्री मौ0 हारून	484/1 महमूद नगर जिला मुजफ्फरनगर	सदस्य	शिक्षक	Mohd Akram
6	ईनाम पुत्र श्री सईद	186, ग्राम सिराना जिला मुजफ्फरनगर	सदस्य	कृषि	Mohd Inam
7	जुनेद आलम पुत्र श्री मौ0 आलम	ग्राम बझेड़ी जिला मुजफ्फरनगर	सदस्य	कृषि	[illegible]
8	साकिब पुत्र श्री मौ0 राशिद	ग्राम दधेड़ू जिला मुजफ्फरनगर	सदस्य	कृषि	मौ0 साकिब

हम उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करते हैं कि इस स्मृति पत्र तथा सलंगनक नियमावली के अनुसार सोसायटीस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

सत्य प्रतिलिपि

3-12-14

– नियमावली –

1. संस्था का नाम : इण्डियाज ग्रुप (आई जी0)वेलफेयर सोसायटी।

2. संस्था का पता : 779/3 – रहमत नगर, योगेन्द्रपुरी, जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)।
(संस्था का पता आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है।)

3. कार्यक्षेत्र : संस्था का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार होंगे।

5. संस्था की सदस्यता : संस्था की सदस्यता के लिये आयु 18 वर्ष से अधिक हो सर्वोदय विचारधारा का हो। नैतिक आचरणों वाला हो। सजायाफता न हो। पागल न हो। संस्था का सदस्य बन सकेगा।

6. सदस्यों के वर्ग :

(अ) <u>संस्थापक सदस्य</u>

कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसने संस्था के स्मृति पत्र व नियमावली पर हस्ताक्षर किये हो तथा संस्था को एक मुश्त 20000/– रु0 या अधिक दान में दे ऐसे सदस्य संस्था के संस्थापक सदस्य कहलायेंगे।

(ब) <u>आजीवन सदस्य</u>

कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो व रूपये 15000/– या अधिक दान देकर संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है जिसे वर्तमान संस्थापक एवं आजीवन सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदित होने पर संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

(स) <u>साधारण सदस्य</u>

कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो व रूपये 10000/– वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कराने पर वह सभा का साधारण सदस्य बनाया जा सकता है।

7. आम सभा : संस्था के संरक्षक आजीवन सदस्य साधारण सभा के सदस्यों का संगठन आम सभा कहलाएगी।

8. आम सभा के कर्तव्य : 1– संस्था की नीति निर्धारित करना।

2– संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति

सत्य प्रतिलिपि

का गठन अपने भीतर से करना।

3– प्रबन्धकारिणी द्वारा बनाये गये बजट को स्वीकार करना।

4– आय–व्यय को स्वीकार करना।

5– संस्था की चलव अचल सम्पत्ति का प्रबन्ध करना।

9. प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन : प्रत्येक 5 वर्षों बाद साधारण सभा अपने सदस्यों में से प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करेगी जिनमें 4 पदाधिकारी व 4 सदस्य होंगे जिनकी कुल संख्या 8 होगी जो आवश्यकता पड़ने पर भविष्य घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है।

अ– अध्यक्ष	–1
ब– उपाध्यक्ष	–1
स– प्रबन्धक	–1
द– कोषाध्यक्ष	–1
य– सदस्य	–4

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकारः

<u>अ–अध्यक्ष</u>

1. प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. समिति के हितार्थ कोई भी कार्य जो प्रबन्धकारिणी तथा साधारण सभा से स्वीकृत हो करवाना।

3. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करना।

4. अध्यक्ष को अपने विवेक से 5000/– रु0 व्यय करने की स्वीकृति देने का अधिकार होगा।

<u>ब– उपाध्यक्ष</u>

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी अधिकार उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

स– प्रबन्धक

1. प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठकों की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करना।

2. समिति व सम्बन्धित विभागों से पत्र व्यवहार करना।

3. आय व्यय की स्वीकृति हेतु आप सभा के समक्ष रखना।

4. संस्था के समस्त लेखों पर हस्ताक्षर करना व प्रमाणित करना।

5. आमसभा तथा प्रबन्धकारिणी की बैठकें आवश्यकतानुसार बुलायेगा तथा ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखेगा

6. प्रबन्धक अपने विवेक से 5000/– रु0 तक व्यय करने की स्वीकृति दे सकता है।

द– उपप्रबन्धक

1. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में सभी अधिकार उपप्रबन्धक को निहित होंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रबन्धक के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट कार्य को सम्पन्न कराना।

य– कोषाध्यक्ष

1. कोषाध्यक्ष संस्था के सभी आय–व्यय का पूरा विवरण रखेंगे।

2. संस्था के हिसाब सम्बन्धित कागजात तैयार करना।

3. संस्था का वह सभी कार्य करना जो एकाउन्टेण्ट से सम्बन्धित हो।

11. प्रबन्धकारिणी समिति समिति के कार्य :

1. संस्था का संचालन करना और आम सभा द्वारा बनाए गए नियमों उपनियमों का पालन करना।

2. प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय की रिपोर्ट बजट स्वीकार करना।

12. बैठकें : कार्यकारिणी सभा की बैठक प्रबन्धक आवश्यकतानुसार बुलाएगा परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी

साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष व प्रबन्धक के बुलाने पर आवश्यकतानुसार होती रहेगी परन्तु वर्ष में दो बार होना आवश्यक है। विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार होगीं।

Ayub Ali
Ruby Asif

13. बैठक की सूचना: 1. साधारण सभा की सूचना 7 दिन पहले तथा प्रबन्धकारिणी समिति की सूचना 3 दिन पूर्व देनी होगी।

2. विशेष परिस्थितियों में बुलाई गई बैठकों के लिए 24 घण्टे की दी गई सूचना प्रयाप्त होगी।

14. गण पूति : साधारण सभा बैठक गणपूर्ति तीन चौथाई तथा प्रबन्धकारिणी की गणपूर्ति 2/3 होगी। कोरम पूरा न होने की दशा में दोबारा बुलाई गई बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता न होगी यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो

15. सदस्यता की समाप्ति :

1. सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर।
2. नैतिक अपराध के दण्डित होने पर।
3. मादक द्रव्यों के सेवन करने पर।
4. आचरण भ्रष्ट होनपर।
5. संस्था विरोधी आचरण करने पर।
6. मृत्यु होने पर।
7. सदस्यता शुल्क न देने पर (आजीवन व संस्थापक सदस्यों को छोड़कर)।
8. कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य यदि लगातार तीन बैठकों में बिना कारण के अनुस्थित रहता है तो उसकी कार्यकारिणी समिति की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

Mohd Nadir
मो० साकिब
Mohd Asan

16. रिक्त स्थान की पूर्ति : प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति आम सभा स्वयं अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष अवधि के लिये करलेगी।

17. संस्था कोष :

1. सदस्यों के सदस्यता शुल्क द्वारा।
2. दान चन्दा व अनुदान द्वारा।
3. संस्था का धन किसी प्रमाणित बैंक में रहेगा और अध्यक्ष, प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाले जायेगा।

सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स

18.	कानूनी कार्यवाही	:	संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक के नाम से होगी।
19.	वित्तीय वर्ष	:	संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
20.	ऑडिट	:	संस्था के आय व्यय का वार्षिक ऑडिट मनोनीत सदस्य द्वारा किया गया ही मान्य होगा जो पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
21.	नियमावली में संशोधन	:	1. नियमावली में संशोधन परिवर्तन का अधिकार केवल साधारण सभा को 2/3 के बहुमत से होगा। नियमावली की बैठक की गणपूर्ति 2/3 अनिवार्य है।
			2. संस्था द्वारा अर्जित लाभ या लाभांश किसी सदस्य को बांटा नहीं जायेगा। शेष पूंजी संस्था अपने उद्देश्यों में व्यय करेगी।
			3. सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक, रसीद बुक, डाक पंजिका आदि जो आवश्यक हो रखी जायेगी।
			4. संस्था के समापन की स्थिति में इसकी जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी वह सम्पत्ति क्षेत्र की किसी समुदेशीय संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी तथा सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट की धारा 13व 14 के अनुसार रखी जायेगी।
22-	अन्य प्राविधान	:	संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार, उनके विभागों, बोर्ड, निगमों, खादी बोर्ड, खादी आयोग से ऋण एवं अनुदान प्राप्त कर [illegible] राज्य एवं केन्द्र सरकार व उनके विभागों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ऋण/अनुदान प्रदान करना। शहजाद